न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

वाद पत्र संख्या– 23/2024

भंवर लाल पुत्र गंगाराम जाति बलाई नि0 विनोबापुरी, बस्सीनागा तह. जोबनेर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदारजी तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र गंगाराम जाति बलाई निवासी विनोबापुरी, बस्सीनागा, तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर सत्यमेव जयते

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 188, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955</u>

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–31.05.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 इस आशय का पेश किया गया है कि जमाबंदी अंतिम चोसला संवत 2073 से 2077 जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे वर्णित खाता नंबर नया 243 पुराना 216 की आराजी ख0न0 206/3 रकबा 0.0253 है0 किस्म ज0चाह कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.0253 है0 वाके ग्राम बस्सी नागा मे स्थित है जिसमे वादी भंवरलाल 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी सं0 2 1/2 हिस्से का तथा खाता नंबर नया 170 पुराना 148 की आराजी ख0न0 206/2 रकबा 0.3794 है0 किस्म बारानी–3 कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.3794 है0 वाके ग्राम बस्सी नागा मे स्थित है जिसमे वादी भंवरलाल सम्पूर्ण रकबे का रिकोर्डेड, खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी सं02 गंगाराम की सन्तान है। वादी को बचपन मे भंवरलाल व भूराराम नामो से पुकारते थे और नामकरण के समय वादी का नाम भंवरलाल निकाला गया इस कारण वादी को भंवरलाल व भूराराम नामो से पुकारा जाता था किन्तु वादी का राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर लिस्ट, जनआधार कार्ड, ग्राम पं0 का प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों मे **भंवरलाल पुत्र**

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

गंगाराम अंकित है। भंवरलाल व भूराराम नामो का एक ही व्यक्ति है उक्त दोनो नाम वादी से ही संबंधित है वादी का नामकरण के अनुसार रिकोर्डेड नाम भंवरलाल पुत्र गंगाराम है जो सही है। वादी के पिता ने वादी एवं प्रतिवादी सं02 एवं अन्य छः पुत्रो सहित वादी के हक मे उपरोक्त आराजीयात को दिनाक 24/09/2001 वसीयत की गई थी जिसमे सहवन से वादी का नाम भंवरलाल की बजाय भूराराम टाईपिंग से दर्ज हो गया हांलाकि जब से वादी वसीयत के आधार पर नामा0 खुलने के बाद से मुतवातिर मोके पर स्वंय काबिज काश्त चला आ रहा है। वसीयतनामे मे **भंवरलाल पुत्र गंगाराम** की बजाय **भूराराम पुत्र गंगाराम** सहवन से टाईपिंग हो गया जब कि वादी का नाम भंवरलाल है अतः राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम भंवरलाल की बजाय भूराराम अंकित होने से वादी राजकीय सहायता, बैंक ऋण आदि की सुविधाओं से वंचित रहता है वादी के समस्त दस्तावेजो मे भंवरलाल ही अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड मे भूराराम पुत्र गंगाराम की बजाय भंवरलाल पुत्र गंगाराम दुरूस्त होना आवश्यक है। वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी खाता नं0 नया 243 पुराना 216 की आराजी ख0न0 206/3 रकबा 0.0253 है0 किस्म ज0चाह कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.0253 है0 वाके ग्राम बस्सी नागा मे भूराराम पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्से की बजाय वादी भंवरलाल पुत्र गंगाराम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं खाता नं0 नया 170 पुराना 148 की आराजी ख0न0 206/2 रकबा 0.3794 है0 किस्म बारानी–3 कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.3794 है0 वाके ग्राम बस्सीनागा मे भूराराम पुत्र गंगाराम हिस्सा पूर्ण की बजाय वादी भंवरलाल पुत्र गंगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उक्त दुरूस्ती इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लयी गयी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 24/05/2024 को जवाव/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बस्सी नागा के खसरा नं0 170, 243 में भूराराम पिता गंगाराम जाति बलाई के नाम दर्ज खातेदारी है। मौके पर भवंरलाल के भाई रेखाराम पुत्र गंगाराम, सीताराम पुत्र रेखाराम, सुखाराम पुत्र गंगाराम एवं अन्य उपस्थित मिले। सभी ने बताया की भंवरलाल पुत्र गंगाराम तथा भूरराम पुत्र गंगाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। जिसका वक्त फौती नामान्तरण प्रचलित नाम भूराराम होने से जमावंदी में भूराराम हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में भी भंवरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज है।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहरान किया तथा राजस्व रिकार्ड वादी का नाम भूराराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाद पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट एवं जवाब/मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 206/3 रकबा 0.0253 है0 हिस्सा 1/2 तथा एवं आराजी ख0न0 206/2 रकबा 0.3794 है0 हिस्सा पूर्ण वाके ग्राम बस्सीनागा तह0 जोबनेर मे भूराराम पुत्र गंगाराम की बजाय भंवरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। मुताविक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताविक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते